

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-764 / 2009

संस्थित दिनांक-28.10.2009

योगेन्द्र कुमार डोंगरे पिता कारुदास, उम्र 40 साल,
 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.बिरसा, तहसील बिरसा,
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - - परिवादी

// **विरुद्ध** //

1. सादिक खान पिता अब्दुल हफीज, उम्र 55 वर्ष,
 लेखापाल, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालाघाट,
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

2. एस.जे.बाविसताले पिता दुकाली उम्र 60 वर्ष,
 प्रांतीय मंत्री, म.प्र.शिक्षक संघ जिला शाखा बालाघाट
 प्रधान पाठक, म.शा.लीलामेटा,तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

3-ए.के.शिवने पिता गोसाई साव उम्र 53 वर्ष,
 अध्यक्ष, म.प्र.शिक्षक संघ जिला बालाघाट,
 शिक्षक, वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - - आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-25.09.2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-500 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-19.05.2009 को दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में तथा स्थानीय चैनल पदमेश में जिसका प्रकाशन, वितरण एवं प्रसारण स्थान बिरसा में भी होता है में झूठा लांछन लगाया कि परिवारी योगेन्द्र कुमार डोंगरे व्याख्याताओं, लिपिक एवं शिक्षको को प्रताड़ित करता है जिससे परिवारी की ख्याति की अपहानि हुई।

2— संक्षेप में परिवादी पक्ष का परिवाद का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—19.05.2009 को परिवादी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ था तथा आरोपी क्रमांक—1 लेखापाल के पद पर सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग बालाघाट में, आरोपी क्रमांक—2 प्रांतीय मंत्री म.प्र.शिक्षक संघ जिला बालाघाट में, आरोपी क्रमांक—3 अध्यक्ष, म.प्र. शिक्षक संघ जिला शाखा बालाघाट के पद पर पदस्थ थे। आरोपीगण ने आपसी सांठगांठ कर परिवादी की मान प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के आशय से दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में घटना दिनांक को समाचार प्रकाशित कराया और स्थानीय चैनल पदमेश न्यूज में यह प्रसारण कराया कि परिवादी व्याख्याताओं, लिपिक एवं शिक्षकों को प्रताड़ित करता है। उक्त झूठे प्रकाशन से परिवादी की मानहानि हुई। इस प्रकार आरोपीगण ने परिवादी की मान प्रतिष्ठा की अपहानि कारित की। परिवादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 500 भा.द.वि. के अंतर्गत परिवाद पेश किये जाने पर प्रारम्भिक साक्ष्य उपरांत उक्त अपराध के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—500 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है तथा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—19.05.2009 को दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में तथा स्थानीय चैनल पदमेश में जिसका प्रकाशन, वितरण एवं प्रसारण स्थान बिरसा में भी होता है में झूठा लांछन लगाया कि परिवादी योगेन्द्र कुमार डोंगरे व्याख्याताओं, लिपिक एवं शिक्षकों को प्रताड़ित करता है जिससे परिवादी की ख्याति की अपहानि हुई ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :—

5— वाय.के.डोंगरे (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को 20 वर्ष से जानता है। वह उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। आरोपी सादिक खान लेखापाल के पद पर आयुक्त आदिवासी विकास बालाघाट में, आरोपी एस.के.बाबीसताले माध्यमिक शाला नीलामेटा में तथा आरोपी अशोक शिवने वारासिवनी में पदस्थ है। आरोपी एस.के.बाबीसताले शिक्षा संघ का महामंत्री है तथा आरोपी ए.के. शिवने म.प्र.शिक्षक संघ का अध्यक्ष है। घटना दिनांक—19.05.2009 को आरोपीगण के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को भंग करने वाला एक लेख

बालाघाट एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया था। आरोपीगण द्वारा प्रकाशित उक्त लेख के कारण उसके अधिनस्थ कर्मचारी, उच्च अधिकारी, छात्रसंघ एवं समाज के व्यक्ति उसे नीचे निगाह से देखने लगे, जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा कम हो गई। आरोपीगण के द्वारा उसके विषय में मानहानि कारक लेख समाचार पट्टी के रूप में पदमेश सिटी केबल में भी उक्त दिनांक को प्रसारित करवाया गया। आरोपीगण के द्वारा उसके संबंध में प्रकाशित अपमानकारक लेख समाचार पत्र बालाघाट एक्सप्रेस प्रदर्श पी-1 है। आरोपीगण के द्वारा उसके संबंध में झूठे आधार पर लेख प्रकाशित करवाया गया है, जबकि उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन किया गया है, जिसके संबंध में चंद्रभान सोनी भृत्य के लापरवाही कृत्य की शिकायत आदिवासी विकास बालाघाट को दिया गया था, जो प्रदर्श पी-2 है। उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कलेक्टर महोदय बालाघाट को शिकायत की गई थी, जिसकी पावती प्रदर्श पी-3 है। आरोपी ए.के.शिवने को मानहानि कारक लेख प्रकाशन एवं प्रसारण के संबंध में नोटिस दिया गया था, उक्त नोटिस की प्रति प्रदर्श पी-4 एवं डाक पावती प्रदर्श पी-5 है। आरोपीगण ने द्वेष एवं रंजिश कि वजह से उसके विरुद्ध झूठा प्रकाशन किया।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पदमेश चैनल बालाघाट में चलता है तथा बिरसा में उक्त चैनल नहीं चलता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि समाचार पत्र प्रदर्श पी-1 में तीनों आरोपीगण का नाम लेख नहीं है। समाचार पत्र प्रदर्श पी-1 को प्रदर्श किये जाने से पूर्व द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की न्यायालय से अनुमति परिवादी की ओर से नहीं ली गई है। समाचार पत्र की प्रति मूल दस्तावेज के रूप में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में समाचार पत्र प्रदर्श पी-1 के मात्र प्रदर्श हो जाने से उसकी अर्न्तवस्तु प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि कथित समाचार पत्र में कोई लेख प्रकाशन हुआ था तब भी समाचार पत्र प्रदर्श पी-1 में उल्लेखित लेख के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि आरोपीगण ने ही कथित लेख का प्रकाशन कराया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त लेख में मात्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य का नाम उल्लेखित है, किन्तु परिवादी का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख होना प्रकट नहीं होता है।

7— आनंद मेश्राम (प्र.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह परिवादी को जानता है तथा आरोपीगण को नाम से जानता है। घटना दिनांक-19.05.2009 को उसने बालाघाट एक्सप्रेस पेपर में पढ़ा था कि वाय.के.डोंगरे ने अपने अधिनस्थ कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिससे परिवादी की मान प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। अखबार में जो परिवादी के संबंध में लेख छपा गया है वह झूठा तथा

परिवादी के ऊपर लांछन लगाने वाला लेख था जो परिवादी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता और न ही यह बता सकता है कि घटना के समय परिवादी किस विद्यालय में पदस्थ था। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती, जिस कारण उसकी साक्ष्य से परिवादी को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

8— अचारित रंगारे (प्र.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह परिवादी को जानता है। वह आरोपीगण को चेहरे नहीं जानता परन्तु अखबार में खबर छपने के आधार पर जानता है। घटना दिनांक—19.05.2009 को परिवादी के विरुद्ध जो आपत्तिजनक लेख छपा था जिससे परिवादी के मान-सम्मान को ठेस पहुंची व परिवादी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि समाचार पत्र में परिवादी के आपत्तिजनक लेख को किसने प्रकाशित किया उसने नहीं पढ़ा और न ही उसे इसकी जानकारी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि समाचार पत्र प्रदर्श पी-1 के लेख में कहीं भी परिवादी का नाम उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, जिस कारण उसकी साक्ष्य से परिवादी को समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी आनंद मेश्राम (प.सा.2), अचारित रंगारे (प.सा.3) के कथन से परिवादी को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता, बल्कि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उन्होंने परिवादी के कहने पर उसके बताये अनुसार मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं, इसी कारण प्रतिपरीक्षण में वे अपने कथन में स्थिर नहीं रह पाये हैं। परिवादी वाय.के.डोंगरे (प.सा.1) की एकमात्र साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह प्रकट होता है कि परिवादी ने आरोपीगण के विरुद्ध मात्र शंका के आधार पर यह परिवाद कथित मानहानि कारित किये जाने के संबंध में पेश किया है। परिवादी ने जिन शंकाओं के आधार पर परिवाद पेश किया है, उन तथ्यों के आधार पर केवल अधिसंभावना प्रकट होती है कि कथित समाचार पत्र का लेख आरोपीगण की शिकायत या सूचना पर प्रकाशन किया गया होगा, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आरोपीगण का कथित मानहानि कारक लेख के लिये संलिप्त होने के संबंध में साक्ष्य का अभाव है।

10— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-499 के अंतर्गत जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की

ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। उक्त प्रावधान के प्रथम अपवाद में यह उल्लेखित है कि किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाये या प्रकाशित किया जाये वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में मामले में प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कथित समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में प्राचार्य पर व्याख्याता, लिपिक, शिक्षकों ने प्रताड़ित करने के आरोप सद्भाविक रूप से ज्ञापन एवं जांच की मांग को लेकर लगाये हैं।

11— यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि कथित लेख का प्रकाशन हुआ था तब इसके लिये आरोपीगण को साक्ष्य के अभाव में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। परिवादी ने कथित लेख के प्रकाशक को आरोपी नहीं बनाया है और न ही आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश की हो। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य एवं तथ्य की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण के विरुद्ध परिवादी ने निराधार रूप से मात्र शंका के आधार पर यह परिवाद पेश किया है। परिवादी ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक व स्थान में आरोपीगण ने दिनांक-19.05.2009 को दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में तथा स्थानीय चैनल पदमेश में जिसका प्रकाशन, वितरण एवं प्रसारण स्थान बिरसा में भी होता है में झूठा लांछन लगाया कि परिवादी योगेन्द्र कुमार डोंगरे व्याख्याताओं, लिपिक एवं शिक्षकों को प्रताड़ित करता है जिससे परिवादी की ख्याति की अपहानि हुई। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-500 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट